

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2538 / 2011 / हनुमानगढ़

वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

मैसर्स चढढा वैरायटी स्टोर
हनुमानगढ़

बनाम

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री अनिल पोखरणा

उप राजकीय अभिभाषक

श्री वी.के. पारीक

अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 18.11.2014

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 248 / आरवैट / हनुमानगढ़ / 2010-11 में पारित आदेश दिनांक 26.05.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवसायी पान मसाला, गुटका के कय विक्रय का व्यवसाय करता है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 27.05.2008 को किया गया है। वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल पर लूज पेपर्स पाये गये, जिनका सत्यापन प्रत्यर्थी व्यवसायी नियमित लेखा पुस्तकों में अभाव में नहीं करवा सका। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसाय स्थल पर पाये गये माल का भौतिक सत्यापन किया जाकर भौतिक सत्यापन फर्द तैयार की गई तथा फर्म के एक अन्य अधोषित गोदाम की जांच की गई, जो प्रत्यर्थी व्यवहारी के पंजीयन प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं है। अधोषित गोदाम पर पाये गये माल का भौतिक सत्यापन फर्म मालिक की उपस्थिति में किया जाकर भौतिक सत्यापन फर्द तैयार की गई। सर्वेक्षण के दौरान पाये गये लूज पेपर्स एवं भौतिक सत्यापन पर पाये गये स्टॉक के सत्यापन हेतु राजस्थान मूल्य परिचर्चित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 75 के अन्तर्गत नियमित बहियात प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब से असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 25, 61 एवं 75(8) के अन्तर्गत दिनांक 20.11.2008 को आदेश पारित करते हुए कर एवं शक्ति कुल रु. 8,16,197 / - की मांग सृजित कर दी। उक्त सृजित मांग से असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी

व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने आरोपित कर एवं शास्ति को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2011 पारित किया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2011 से क्षुब्ध होकर राजस्व की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रत्यर्थी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 27.05.2008 को करने पर वक्त जांच चार लूज पेपर्स पाये गये, जिनका सत्यापन व्यवसायी की नियमित लेखा पुस्तकें व्यवसाय स्थल नहीं होने के कारण नहीं हो सका। वक्त सर्वेक्षण पाये गये चार लूज पेपर्स का विवरण निम्न प्रकार है:-

(1) निरीक्षण के दौरान पाये गये लूज पेपर्स की प्रविष्टियों का मिलान व्यवसाई का लेखा पुस्तकों से किए जाने पर गणेश जर्दा, खेनी, जीपर, मिराज एवं फर्मों से लेन देन की कुल रू. 135940/- की प्रविष्टियों का मिलान नियमित बहियात से नहीं हो सका अतः रू. 135940/- की बिक्री को बिना विक्रय बिल जारी किये उचन्ति बिक्री मानकर धारा 61 के तहत कर व शास्ति आरोपित किए जाने का नोटिस जारी किया गया।

(2) दिनांक 17.05.2008 को आपकी लेखा पुस्तकों के अनुसार आपके 4% कर योग्य माल खाते का अंतिम स्टॉक रू. 23740/- एवं 12.5% कर योग्य माल का अंतिम स्टॉक रू. 340838/- का पाया गया जबकि दिनांक 17.05.2008 को सर्वेक्षण के दौरान लिये गये स्टॉक से भौतिक सत्यापन मूल्यांकन आपकी उपस्थिति में दिनांक 17.07.2008 को किये जाने पर 4% कर योग्य माल रू. 61500/- एवं 12.5% कर योग्य माल रू. 52700/- का पाया गया। इस प्रकार भौतिक सत्यापन पर पाये गये माल एवं लेखा पुस्तकों में दर्ज स्टॉक में 4% कर योग्य माल रू. 37760/- का अधिक पाया गया एवं 12.5% कर योग्य माल रू. 288138/- का कम पाया गया। अतः अधिक पाये गए माल पर धारा 75(8) के तहत एवं स्टॉक से कम पाये गए माल पर धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

(3) सर्वेक्षण के दौरान अघोषित पाये गये गोदाम में 18 बोरी जाफरी गुटखा एवं 1 बोरी गणेश छाप जर्दा पाया गया जिसकी कीमत रू. 74851/- आंकी गई। इस अघोषित गोदाम का इन्द्राज व्यवसाई के पंजीयन प्रमाण-पत्र में भी नहीं पाया गया। अतः स्पष्ट है कि व्यवसाई बिना वेच चुकाए कर चोरी की नियत से मंगवाए माल का इस गोदाम में रखता है। अतः अघोषित गोदाम में पाये गए अघोषित माल की कीमत रू. 74851/- पर राज. मूपक की धारा 75(8) के तहत कर व शास्ति आरोपित करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

(4) निरीक्षण के दौरान व्यवसाय स्थल पर पाये गये लूज पेपर्स में श्री दीपक कुमार के नाम से दो बैंक खाते एक S.B.B.J.A/c No. 51031042060 एवं दूसरा S.B.I. A/c No.

30385029585 अंकित पाये गये। S.B.J. A/c No. 51031042060 के खाते की नकल में रु. 798950 / - का जाम एवं रु. 808250 / - का नामे रकम का लेन-देन अंकित है। इस खाते में इन्टर सिटी संव्यवहार पाये गए तथा जमाकर्ता अशोक कुमार, रतन लाल, रामगोपाल नाम अंकित है। स्पष्टतया इस खाते के संव्यवहार उचन्ति बिना बिल जारी किए माल की रकम से संबन्धित है। अतः कुल जमा रकम रु. 798950 / - को उचन्ति माल की बिक्री मानते हुए धारा 61 के तहत कर व शास्ति आरोपित करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत पर विचार करने के पश्चात अधोषित पाये गये माल को करापबंधित के दोषी मनोभाव से लेखा पुस्तकों में अंकित नहीं किये जो से कर निर्धारण अधिकारी कर एवं शास्ति रु. 8,16,197 / - आरोपित किया, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा कर एवं शास्ति इस आधार पर अपास्त कर दी गई कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.3(ए)(6)टैक्स / सीसीटी / 97 / 11 दिनांक 27.05.1997 जारी की गई जो राजपत्र में दिनांक 30.05.1997 को प्रकाशित हुई, जिसके अनुसार सर्वेक्षण के लिए उपायुक्त(प्रशासन) वाणिज्यिक कर से अनुमति लेना आवश्यक है और प्रस्तुत प्रकरण में सर्वेक्षण करने से पूर्व उपायुक्त(प्रशासन) वाणिज्यिक कर, श्रीगंगानगर से अनुमति नहीं लिया जाना एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन फर्द पर दो गवाहों के हस्ताक्षर नहीं होने के आधार माना है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2011 पारित किया गया है, जो अविधिक होने से अपास्त योग्य है। उन्होंने उक्त कथन के आधार प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.3(ए)(6)टैक्स / सीसीटी / 97 / 11 दिनांक 27.05.1997 जारी की गई जो राजपत्र में दिनांक 30.05.1997 को प्रकाशित हुई, जिसके अनुसार सर्वेक्षण के लिए उपायुक्त(प्रशासन) वाणिज्यिक कर से अनुमति लेना आवश्यक है और प्रस्तुत प्रकरण में सर्वेक्षण करने से पूर्व उपायुक्त(प्रशासन) वाणिज्यिक कर, श्रीगंगानगर से अनुमति लिये वगैर सर्वेक्षण की कार्यवाही सम्पादित की गई है, जो अविधिक है, इस कथन के समर्थन में अपीलीय स्तर पर उद्धरित 23 टैक्स अपडेट 241 का हवाला दिया। उनका कथन है कि सर्वेक्षण के दौरान व्यवसाय स्थल पर पाये गये लेज पेपर्स विभाग द्वारा अभिग्रहित किये गये हैं, किन्तु सीजर भीमो कॉपी उसे नहीं दी गई है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन फर्द तैयार की गई है, जिस पर दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर नहीं हैं, जिससे राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 51(i) एवं(ii) की पालना नहीं हुई है। इसके

अतिरिक्त उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का निस्तारण करते समय अभियोग से सम्बन्धित प्रत्येक पहलू पर विचार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.05.2011 पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। उन्होंने उक्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ. 3(ए)(6)टैक्स/सीसीटी/97/11 दिनांक 27.05.1997 जारी की गई जो राजपत्र में दिनांक 30.05.1997 को प्रकाशित हुई, जिसके अनुसार सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर से अनुमति लेना आवश्यक है। उपयुक्त(प्रशासन) के क्षेत्र में होने वाली समस्त कार्यवाही उनके निर्देशानुसार ही कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा सम्पादित की जाती है इसलिए यह कहना सही नहीं है कि सर्वेक्षण के पूर्व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त नहीं की गई है।

बहस के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कथन किया गया है कि भौतिक सत्यापन के पश्चात तैयार की गई भौतिक सत्यापन फर्द पर दो गवहों के हस्ताक्षर नहीं है। इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली का अवलोकन पर स्पष्ट है कि पत्रावली के पेज 13 से 15 तक भौतिक सत्यापन फर्द उपलब्ध है जिस पर दो गवाहों है इसलिए यह कहना कि भौतिक सत्यापन फर्द पर दो गवहों के हस्ताक्षर नहीं है, यह सही नहीं है।


कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश में अंकित किया गया है कि "यह प्रविष्टियों नगदी लेन देन की भी नहीं है क्योंकि श्री विजयनगर की फर्म मैसर्स अशोक प्रोविजन स्टोर ने स्वयं के नाम से उक्त खाते में रकम जमा कराई है। नोटिस में व्यवसाई से इस बाबत स्पष्टीकरण मांग गया लेकिन व्यवसाई कोई समुचित जवाब प्रस्तुत नहीं कर सका है। मैसर्स अशोका प्रोविजन स्टोर, श्री विजयनगर के मालिक श्री प्यारेलाल के बयान कलम बद्ध किये गये जिसे पत्रावली पर रखा गया। श्री प्यारे लाल ने अपने बयान में जाहिर किया है कि मेरी फर्म द्वारा मैसर्स चढढा वैरायटी स्टोर, हनुमानगढ से सिगरेट पान मसाला आदि खरीद किये गये थे। श्री देवेन्द्र चढढा मालिक फर्म के निर्देशानुसार मेरे द्वारा खरीद किये गये माल का भुगतान एस.बी.जे.बी कलेक्ट्रेट ब्रांच हनुमानगढ जं. के खाता संख्या 51031042060 जो कि दीपक कुमार चढा के नाम से है, में ऑन लाईन जमा कराया गया है"।

कर निर्धारण अधिकारी ने माना है कि उक्त बैंक खाता का उपयोग प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा गुटखा, माधिस, सिगरेट, पान मसाला आदि की उचित बिक्री के भुगतान प्राप्त करने के लिया जा रहा है, परन्तु इस सम्बन्ध में सम्बन्धित बैंक से कोई जांच नहीं

की गई है, इसलिए उनका यह निष्कर्ष बिना जांच के होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। अतःकर निर्धारण अधिकारी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण उनको प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि ऑन लाईन जमा करायी गयी राशि के सम्बन्ध सम्बन्धित बैंक से जांच करने के पश्चात, प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात न्याय संगत आदेश पारित करें।

फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाकर पुनः जांच हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य